

न्यायालय :-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-14 / 2017
संस्थित दिनांक - 20.06.2017
सी.आई.एस. फाईलिंग नंबर-आर.सी.ए./139 / 2017
सी.एन.आर कं.-एम.पी.50050013092017

सुबेलाल आयु 60 वर्ष पिता धन्नुलाल जाति गढ़वाल
निवासी-कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट

- - - - - **अपीलार्थी**

- // // **विरुद्ध** // // -

- 1- सहरूलाल उम्र 51 साल पिता माहुलाल जाति गढ़वाल
निवासी कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2- म.प्र. राज्य की ओर - श्रीमान् कलेक्टर महोदय बालाघाट

- - - - - **उत्तरवादीगण**

=====

{न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा व्यवहार क्रमांक 300036ए/2016 सुबेलाल बनाम सहरूलाल व अन्य एक में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 29.04.2017 से परिवेदित होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री अब्दुल शहीद खान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
श्री आर.के. चौहान वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 1
उत्तरवादी क्रमांक 2 अनुपस्थित।

=====

- // // **निर्णय** // // -
(आज दिनांक 19 फरवरी 2018 को पारित)

1. अपीलार्थी सुबेलाल ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर जिला बालाघाट पीठासीन अधिकारी {श्री दिलीप सिंह} द्वारा व्यवहार क्रमांक 300036ए/2016, सुबेलाल बनाम सहरूलाल व अन्य एक में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2017 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।
2. उभयपक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 एक ही खानदान से है, वे गढ़वाल जाति के होकर हिन्दु है। वंशवृक्ष

में लेख मूल पुरुष माहुलाल फौत हो चुके हैं। वादी के पिता धन्नूलाल फौत हो चुके हैं।

3. वादी/अपीलार्थी के वाद का सार यह है कि वादभूमि ख.क्र. 97 रकबा 40 डिसमिल, पह.न. 18, ग्राम कटंगी, रा.नि.मं. 02 बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट की है। कृषि भूमि होने से म.प्र. राज्य को पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है पक्षकारों के मूल पुरुष माहुलाल जिनकी संतान क्रमशः फगनूलाल, धन्नूलाल, देवाजी, समारू, सहरूलाल, कौशल्याबाई एवं कौलीबाई है। धन्नूलाल फौत है, के वारसान प्रारगाबाई, सूबेलाल (वादी) है। वादी के पिता धन्नूलाल ने ख.क्र. 97 रकबा 40 डिसमिल भूमि का सौदा बखरूलाल निवासी कटंगी से कर कर रकम अदा कर दी तथा वादी के पिता उक्त भूमि के कब्जे में आकर काफ़्त करने लगा। वहां एक गाय का कोठा बनाया। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का कब्जा रहा, वादभूमि पर विरोधी आधिपत्य के रूप में अपना कब्जा बनाए रखा। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख स्वयं के पक्ष में करवाया, उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कभी कब्जा नहीं रहा। वादी का 70 वर्षों से कब्जा है।

4. वादी ने तहसीलदार बैहर के समक्ष वाद भूमि पर कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया कि कार्यवाही में प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आपत्ति पेश की, तहसीलदार ने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन पेश करने का आदेश किया तब दिनांक 20.11.2014 को मौके पर जाकर पटवारी ने रिपोर्ट तैयार की और मौके पर वादी का कब्जा पाया। प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई स्वत्व नहीं है। प्रतिकूल कब्जेदार होने से वादी का स्वत्व अर्जित हो गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को सीमांकन कराए जाने से निषेधित किया जाना न्यायोचित होगा, बेदखली की कार्यवाही किए जाने से निषेधित किया जावे। घोषणा हेतु मूल्यांकन 1,000/-रुपए कर 500/-रुपए न्यायालय शुल्क अदा हैं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन 1,000/-रुपए कर 120/-रु. न्यायालय शुल्क अदा है। वाद परिसीमा में होकर न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में है। वाद कारण दिनांक 20.11.2014 को उत्पन्न हुआ है। सूचीबद्ध दस्तावेज पेश है। दावा डिक्री किए जाने की याचना की है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादपत्र के स्वीकृत तथ्य को छोड़कर शेष अभिवचनों को कंडिकावार अस्वीकार किया है। वादी का 70 वर्षों से वाद भूमि

पर आधिपत्य होना इंकार किया है। वादभूमि वादी के पिता से सौदा कर विक्रय मूल्य अदा करना इंकार किया है। पहले वादी का पिता तथा उसके बाद वादी का कब्जा होना इंकार किया है। सीमांकन प्रतिवेदन में विरोधी आधिपत्य लेख होना इंकार किया है। वाद कारण दिनांक 20.11.2014 को उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद परेशान करने की नियत से ख. क्र. 97 रकबा 40 डिसमिल भूमि ग्राम कटंगी को हड़पने की नियत से झूठा दर्शाकर वाद पेश किया है।

6. विशेष कथन कर लेख किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं की कमाई से कटंगी निवासी बखरूलाल से खसरा क्रमांक 97 रकबा 40 डिसमिल भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा कय कर कब्जा प्राप्त कर काष्ठ कर रहा है। वादी ने वास्तविक तथा छिपाकर तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की थी तथा यहां वाद पेश किया। वादी ने लम्बे आधिपत्य के संबंध में राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है। वाद चलन योग्य नहीं है, सब्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

7. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि निम्न न्यायालय ने प्रकरण में आयी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को समुचित मूल्यांकन न कर विधि विरुद्ध ढंग से निर्णय पारित किया है, कथित भूमि अपीलार्थी के मकान से लगकर स्थित है, का नजरअंदाज किया है, हल्का पटवारी के द्वारा मौके में उपस्थित होकर जाँच प्रतिवेदन, पंचनामा तैयार किया गया है, कब्जा 70 वर्षों से बताया गया है, स्पष्ट साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध होने के बावजूद विधिविरुद्ध निर्णय पारित किया है, साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 को प्रमाणित नहीं अभिनिर्धारित कर विधिक त्रुटि की है, वांछित न्यायशुल्क चस्पा है, निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 29.04.2017 को अपास्त कर अपीलार्थी द्वारा पेश वाद में चाही गई आज्ञाप्ति प्रदान किए जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न है :-

क्या न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 300036ए/2016 सूबेलाल बनाम सहरूलाल+1 निर्णय दिनांक 29.04.2017 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किये जाने से अथवा तथ्य की त्रुटि किये जाने से अथवा विधि की त्रुटि किये जाने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निकर्ष :-

8. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अपीलार्थी की ओर से पेश लिखित तर्क का अध्ययन कर विचार में लिया गया।

9. सूबेलाल (वा.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन वादपत्र की प्रति के रूप में पेश किया है तथा न्यायालय के समक्ष मुख्य कथन में प्र.पी. 1 खसरा नकल, प्र.पी. 2 स्थल जॉच प्रतिवेदन, प्र.पी. 3 स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रदर्शित कराए हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में यह स्वीकार किया है कि उसके पास उक्त जमीन क़य करने की रजिस्ट्री नहीं है। पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन की रजिस्ट्री प्रतिवादी सहरूलाल के नाम पर है। पद क्रमांक 9 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 2, प्र.पी. 3 के दस्तावेज दो वर्ष पूर्व के हैं, 70 वर्षों से कब्जा होने के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि वह कोई जमीन लेगा तो उसका विक्रय मूल्य अदा करके उसकी रजिस्ट्री करेगा। यह स्वीकार किया है कि उसके पिता धनूलाल के नाम से भूमि क़य करने के दस्तावेज नहीं हैं।

10. भारत दीवान (वा.सा.2), गणेश पंचेश्वर (वा.सा.3) के मुख्य कथन और प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सहरूलाल (प्रति.सा.1) के मुख्य कथन को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साक्षी के न्यायालय के समक्ष लेख मुख्य कथन के पद क्रमांक 5 में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1975 की मूल प्रति प्र.डी. 1 दस्तावेज है। प्र.डी. 1 के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्र.डी. 2 है, खसरा पांचसाला वर्ष 2016-17 की प्रमाणित प्रति प्र.डी. 3 है।

11. अपीलार्थी की ओर से **रामानाथन विरुद्ध एम. सोमसुंदरम चेतितयर ए.आई.आर. 1964 (मद्रास हाईकोर्ट)** पेश किया, का अध्ययन किया गया। पेश न्यायदृष्टांत के तथ्य और साक्ष्य के अनुसार इस अपीलीय अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है न ही तथ्य है। अपीलार्थी ने पिछले 70 वर्षों की खसरों की नकलें प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अभिलेख पर पेश नहीं की है। मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर 70 वर्षों का आधिपत्य होना निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है, का निष्कर्ष तथ्य, विधि के

अनुसार होकर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

12. प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

Sd/-

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय बैहर
जिला-बालाघाट

Sd/-

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय बैहर
जिला-बालाघाट

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. **R.C.A. / 14 OF 2017**

IN THE COURT OF **माखनलाल झोड़, द्वि.अ.जि.न्या.बालाघाट**

श्रृंखला न्यायालय - बैहर

=====

सुबेलाल आयु 60 वर्ष पिता धन्नुलाल जाति गढ़वाल

निवासी-कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - अपीलार्थी

-// विरुद्ध // -

1- सहलाल उम्र 51 साल पिता माहुलाल जाति गढ़वाल

निवासी कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट

2- म.प्र. राज्य की ओर - श्रीमान् कलेक्टर महोदय बालाघाट

- - - - उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर**
जिला बालाघाट dated the **29 day 04-2017** Civil Suit No. **300036A of 2016.**

This appeal coming on for hearing on the **12 day of Feb. 2018** before
me in the presence of-

श्री अब्दुल शहीद खान अधिवक्ता .for the appellant and of

श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता for the respondent No. 1

for the respondent No. 2 **अनुपस्थित**

It is ordered and decreed that -

प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

P.T.O.

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 110/- are to be Paid by the **Appellants**.

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **19 day of Feb. 2018**.

Sd/-

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	1000.00	Stamp for Power	10.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits	-	Service of Processes	
4.	Service of Processes	10.00	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	100.00
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	100.00		
6.	Application & Affidavite	5.00		
	Total :-	1125.00	Total :-	110.00
	(एक हजार एक सौ पच्चीस रूपए)		(एक सौ दस रूपए)	

Sd/-

(माखनलाल झाड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर